भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं. †2445

(जिसका उत्तर सोमवार 4 अगस्त, 2025 /13 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि

†2445. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

श्रीमती भारती पारधी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अनुमानित वृद्धि कितनी है और इस वृद्धि में योगदान देने वाले प्रमुख कारक क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा प्रमुख क्षेत्रों में अधिक घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) पिछले बारह महीनों के दौरान व्यापार सुगमता में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत के रूप में चालू राजकोषीय घाटे का ब्यौरा क्या है तथा एफआरबीएम अधिनियम में उल्लिखित राजकोषीय समेकन लक्ष्यों का पालन करने के लिए सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के नवीनतम उपलब्ध अनंतिम अनुमानों के अनुसार, स्थिर मूल्यों पर जीडीपी में वर्ष 2024-25 में 6.5% की वृद्धि होने का अनुमान है। यह वृद्धि मुख्य रूप से निर्माण क्षेत्र (9.4%), लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाओं (8.9%) और वित्तीय, रियल एस्टेट एवं व्यावसायिक सेवाओं (7.2%) में मजबूत प्रदर्शन के कारण हुई। भविष्य को देखते हुए, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान लगाया है।

(ख) सरकार ने अधिक घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए, अधिक पूंजीगत व्यय, अवसंरचना विकास, वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधार और व्यापार सुगमता पर ध्यान केंद्रित कर कई पहलें की हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में निवेश को विकास के चार प्रमुख कारकों में से एक माना गया है। अतिरिक्त उपायों में ऋण गारंटी योजनाएँ, उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और एक मज़बूत कौशल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने रक्षा, नागरिक उड्डयन, औषध, सिंगल ब्रांड रिटेल, संविदा निर्माण, डिजिटल मीडिया, बीमा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में व्यापक और परिवर्तनकारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सुधारों को कार्यान्वित किया है। निवेश केंद्र के रूप में भारत की अपील को बनाए रखने के लिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और आवश्यकतानुसार उसे

अद्यतित किया जाता है। निवेशक-अनुकूल फ्रेमवर्क लागू है, जिसमें अधिकांश क्षेत्र–कार्यनीतिक महत्व के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर–स्वचालित माध्यम के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए खुले हैं, जिसके लिए किसी पूर्व सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

(ग) भारत सरकार ने कारोबारी माहौल में सुधार करने, निवेश आकर्षित करने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए लगातार व्यापक सुधार किए हैं। इन उपायों में व्यापार सुगमता कार्यक्रम के अंतर्गत की जा रही पहलों सहित व्यापार सुधार कार्ययोजना (बीआरएपी), बिजनेस-रेडी असेसमेंट, जन विश्वास तथा व्यवसायों और नागरिकों पर अनुपालन भार को कम करने संबंधी पहलें शामिल हैं। जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 ने 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को गैर-अपराधीकृत बना दिया, और केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित जन विश्वास विधेयक 2.0 का उद्देश्य 100 से अधिक विधिक प्रावधानों को अधिक सरल बनाना है। इसके अलावा, कारोबारी माहौल को अधिक सुदृढ़ करने के एक प्रमुख प्रयास के तहत, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की अध्यक्षता में बीआरएपी 2024, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, अनुपालन भार को कम करने और डिजिटल समाधानों को लागू करने के साथ ही, श्रम, पर्यावरण, कर, भूमि प्रशासन, उपयोगिता परमिट, निरीक्षण और निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करने के लिए अपने प्रारंभिक दायरे का विस्तार कर रहा है तथा तीव्र और अधिक कुशल सरकार-से-व्यवसाय सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समय और दस्तावेज़ अध्ययन (टीडीएस) के माध्यम से आईसीटी अपनाने और प्रक्रिया पुनर्रचना जैसे नए क्षेत्रों को शामिल कर रहा है।

(घ) केंद्रीय बजट 2025-26 में वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% निर्धारित किया गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के तहत आवश्यक रूप से, केंद्रीय बजट 2025-26 के साथ प्रस्तुत राजकोषीय नीति का विवरण में राजकोषीय समेकन के लिए भारत सरकार के रोडमैप की रूपरेखा दी गई है। *इसमें कहा गया है कि "यदि कोई बड़ा वृहत आर्थिक व्यवधानकारी बाहरी संकट न आए तो आर्थिक विकास की संभावित प्रवृत्तियां और उभरती विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार का प्रयास यह होगा कि प्रत्येक वर्ष (वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक) राजकोषीय घाटे को इस प्रकार रखा जाए कि केंद्र सरकार का ऋण कम होता रहे ताकि जीडीपी पर ऋण का स्तर 31 मार्च, 2031 (16वें वित्त आयोग की अवधि के अंतिम वर्ष) तक लगभग 50±1 बना रहे।"*

****